न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस.

दावा संख्या – 236/2013

सोनादेवी पुत्री जीवणराम पत्नी नानूराम जाति जाट निवासी तालाब की ढाणी तन मंगलूणा हाल निवासी मंगलूणा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर ।

—— वादीया

बनाम

1. गोपी पुत्र जीवणराम
2. टीकू पुत्र जीवण (फौत)

2/1 रामलाल
2/2 शिशपाल } पुत्रगण टीकूराम
2/3 हरफूल

2/4 बनारसी
2/5 बिमला } पुत्रियां टीकूराम
2/6 सरोज

2/7 सुखदेवी पत्नी टीकूराम
समस्त जाति जाट निवासीगण तालाब की ढाणी तह. लक्ष्मणगढ –सीकर

3. मांगीलाल पुत्र गुल्लाराम
4. बेगाराम पुत्र गुल्लाराम
5. नाराणीदेवी बेवा गुल्लाराम
6. रामलाल
7. छोटूराम } पुत्रगण मोतीराम नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता
8. जीताराम } श्रीमती बलीदेवी पत्नी मोतीराम जाट निवासी तालाब की ढाणी
9. सुमन पुत्री मोतीराम नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती बलीदेवी पत्नी मोतीराम जाट निवासी तालाब की ढाणी तह. लक्ष्मणगढ जिला सीकर
10. बलीदेवी पत्नी मोतीराम जाति जाट निवासी तालाब की ढाणी तहसील लक्ष्मणगढ

11. भंवरलाल
12. पेमाराम } पुत्रगण लिखमाराम
13. गौरीशंकर
14. भागीरथ

15. सोहनी
16. परमेश्वरी } पुत्रियां लिखमाराम

17. मोहनी पत्नी लिखमाराम समस्त जाति जाट निवासीगण तालाब की ढाणी तह. लक्ष्मणगढ
18. पटवारी हल्का मंगलूणा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर
19. उप पंजीयक लक्ष्मणगढ
20. तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला सीकर

——प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः–

1. श्री महिपालसिंह अधिवक्ता वादी ।
2. श्री किशोरसिंह अधिवक्ता प्रति.सं.1 व 2
3. श्री योगेश त्रिपाटी अधिवक्ता प्रति. सं. 3,6,7
4. श्री रामनिवास मूण्ड अधिवक्ता प्रति.सं. 11,13

–:: निर्णय ::– **दिनांक –10.01.2018**

संक्षिप्त मे वाद के तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर अभिवचन अंकित किया है कि आराजियात खसरा नं. 12 रकबा 4.49 है. खसरा नं. 36 रकबा 6.40 है. व खसरा नं. 174 रकबा 1.01 है. तन ग्राम मंगलूणा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर मे है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 17 एक ही हिन्दू मिताक्षरा परिवार के सदस्य

है। वादिया स्व. जीवण की पुत्री है। विवादित आराजियात वादिया व प्रतिवादी सं. 1 ता 17 की पैतृक वंशानुगत आराजियात है इनके पूर्वज जीवण पुत्र बींजा की विरासत से प्राप्त हुई है। जिनमे वादिया का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 व 2 का 1/5, 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 3 ता 10 का 1/5 हिस्सा एवं प्रति.सं.11 ता 17 का 1/5 हिस्सा भाग विधिक रूप से है तथा इसी कदर मौके पर कब्जा काश्त है। लेकिन वादिया व प्रति.सं. 1 ता 17 के पूर्वज जीवण की विरासत का नामांतकरण सं. 751 के समय वादिया के नाम 1/5 हिस्से की खातेदारी दर्ज नही की गई तथा विरासत से वादिया को पूर्णतया वंचित रखा गया। वादिया स्व. जीवण की विधिक वारिस होरने के कारण आराजियात मे विधिक रूप से 1/5 हिस्सा भूमि भाग की हकदार है व 1/5 हिस्से की खातेदारी अपने नाम उद्घोषित करवाने की अधिकारिणी है। वादिया के नाम खातेदारी दर्ज नही होने से प्रतिवादीगण नाजायज हस्तक्षेप करने पर उतारू है जिनको ऐसा करने का विधिक अधिकार नही है। इस कारण प्रतिवादी सं. 1 ता 17 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण ने आराजी को बेचान करने की जानकारी वादिया को होने पर पटवारी से खातेदारी की जानकारी 28.5.10 को नकल लेने पर हुई। तो 1.6.2010 को प्रतिवादीगण मानने से इंकार हो गये। प्रति.सं. 1 व 2 खातेदार होने व प्रति.सं. 3 ता 10 गुल्लाराम के विधिक वारिस होने व प्रति.सं. 11 ता 17 लिखमाराम के वारिस होने से पक्षकार बनाया गया है लिखमाराम व गुल्लाराम फौत हो गये है।

वाद पेश कर अनुतोष चाहा है कि वाद डिक्री किया जाकर आराजियात खसरा नं. 12 रकबा 4.49 है. खसरा नं. 36 रकबा 6.40 है. व खसरा नं. 174 रकबा 1.01 है. तन ग्राम मंगलूणा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर मे वादिया को 1/5 हिस्सा की काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित फरमाया जावे व शेष मे प्रतिवादी सं. 1 को 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 को 1/5 हिस्सा, प्रति.सं. 3 ता 10 को 1/5 हिस्सा, प्रति.सं. 11 ता 17 को 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार उद्घोषित फरमाया जाये। वर्तमान खाता बनाम प्रति.सं. 1 ता 17 अधिक हिस्से का निरस्त घोषित किया जाये। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाये कि वादिया के कब्जे काश्त उपयोग मे दखलंदाजी पैदा नही करें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने 28.7.2010 को इकबाली जवाब पेश कर वादिया के वाद के तथ्यों को स्वीकार किया।

प्रतिवादी सं. 11 ता 14 ने जवाब पेश कर अंकित किया कि आराजियात होना स्वीकार है जिसके 1/4 हिस्से का खाता गुला के नाम व 1/4 हिस्से का खाता लिखमाराम के नाम व 1/4 हिस्सा गोपी के नाम है तथा 1/4 हिस्सा टीकू के नाम है। जो जीवण के पुत्र है गुला व लिखमा का देहांत हो चुका है। वादिया प्रति.सं. 1 ता 17 के परिवार की सदस्या नही है। जीवण की वंशावली मे वादिया का नाम अंकित नही है। आराजी पैतृक संपदा है विवादित भूमियों पर वादिया का कोई कब्जा काश्त नही है। परिवार की सदस्या नही है इस कारण वादिया के हक मे कोई प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन नही बनता है। प्रति.सं. 11 के दादा जीवण का देहांत हुए 40 वर्ष हो गये है 40 वर्ष पूर्व नामांतकरण सं. 751 तस्दीक किया गया था। वादिया 40 वर्ष चुप रही व नामांतकरण निरस्त नहीं कराया। वादिया का वाद मियाद बाहर है एक वाद भंवरलाल बनाम गोपीराम न्यायालय के यहां विचाराधीन है जिसमे वादिया पार्टी बन सकती है। वाद प्रस्तुत करने का आधार वादिया को प्राप्त नही है। वाद कारण के अभाव मे वादिया का वाद खारिज योग्य है। अन्य तथ्यों से भी इंकार किया गया है। जवाब पेश कर वादिया का वाद सव्यय खारिज करने का अनुरोध किया गया है। प्रतिवादी सं. 3 व 6 ता 10 की और से भी इसी प्रकार का जवाबदावा पेश कर वादिया के वाद के तथ्यों से इंकार कर वाद खारिज करने का अनुरोध किया गया है। अन्य प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाब पेश नही हुआ।

वाद पत्र व जवाबदावा के आधार पर न्यायालय हाजा द्वारा निम्न तनकियात कायम किये गये –

1. आया वादिया आराजी खसरा नं. 12, 36, 174 वाके ग्राम मंगलूणा में से 1/5 हिस्से की भूमि की खातेदार काश्तकार उद्घोषित करवाने की अधिकारिणी है ।

   –जिमे वादिया

2. आया वादिया प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने की अधिकारिणी है कि वादग्रस्त भूमियों मे वादिया के कब्जे काश्त मे दखलंदाजी पैदा नहीं करें ।

   –जिम्मे वादिया

3. आया प्रतिवादी सं. 11 ता 14 वादी का वाद कारण उत्पन्न नही होने, मियाद बाहर होने से वाद वादिया खारिज करवाने के अधिकारी है ?

   –जिम्मे प्रति.सं. 11 ता 14

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. दादरसी ।

उक्त तनकियात को साबित करने के लिए उभय पक्षों को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया गया। साक्ष्य वादिया मे गवाह सोनादेवी पुत्री जीवण व पत्नी नानूराम जाट निवासी तालाब की ढाणी हाल मंगलूणा, रामनिवास पुत्र गांगाराम जाट निवासी ग्राम तालाब की ढाणी–मंगलूणा, पृथ्वीसिंह उर्फ पीथाराम पुत्र चिमनाराम जाट निवासी दिसनाऊ के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जिनसे अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा जिरह करवाई गई। दस्तावेज जमाबंदी प्रदर्श–1 प्रदर्शित करवाई गई। साक्ष्य प्रतिवादी मे किसी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही हुई।

बहस अंतिम उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की सुनी गई एवं पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार है–

(1) तनकी सं.1:– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादिया पर है जिसमे उसे यह साबित करना है कि वादग्रस्त आराजी मे 1/5 हिस्सा की खातेदारी दर्ज करवाने की अधिकारिणी है। इस संबध मे वादिया की ओर से तीन गवाहान के बयान कराये गये है जिसमे स्वंय वादिया व दो अन्य गवाहान है जिन्होने वाद पत्र के तथ्यों की ताईद की है। इन गवाहान से अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा जिरह भी की गई है लेकिन जिरह से मुख्य साक्ष्य का पूर्णतया खण्डन नही हुआ है। प्रतिवादीगण की ओर से किसी प्रकार की मौखिक या लिखित साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है। वादीया न वाद मे वादग्रस्त आराजी अपने पिता जीवण की खातेदारी की होने व जीवण के फौत होने पर विरासत नामांतकरण मे वादिया का नाम छोड़ देने से खातेदारी उद्घोषणा चाही है क्योंकि वादिया जीवण की विधिक वारिस है। कुछ प्रतिवादीगण की ओर से न्यायालय मे जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है लेकिन उक्त जवाबदावा मे वादिया को जीवण की विधिक वारिस होने से इंकार नहीं किया गया है तथा वादग्रस्त आराजी पैतृक होना स्वंय प्रतिवादीगण ने जवाबदावा मे भी स्वीकार किया है। पत्रावली पर प्रस्तुत प्रदर्श–1 नकल जमाबंदी ग्राम मंगलूणा संवत 2032 के अनुसार खसरा नं. 12, 36, 174 किता 3 रकबा 43 बीघा 2 बिश्वा पर जीवण पुत्र बींजा जाट सा.देह खातेदार दर्ज है जिसमे ना.सं. 751 द्वारा खाता गुल्लाराम, लिखमा, गोपी, टीकू पि.जीवण जाट के नाम स्वीकार होने का नोट दर्ज है। उक्त राजस्व रिकार्ड से वादग्रस्त आराजी पैतृक होना व पिता की विरासत मे वादिया के नाम नहीं आना साबित होता है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पैतृक आराजी मे पुत्रों के समान ही पुत्रियों का समान हक हिस्सा होता है। अन्य दो पुत्रियों का फौत हो जाना कथन किया गया है। ऐसी स्थिति मे वादिया का वादग्रस्त आराजी मे 1/5 हिस्सा प्रकट होता है। लिहाजा वादिया अपने हक हिस्से की उद्घोषणा करवाने की अधिकारिणी है। अतः यह तनकी सं.1 वादिया के पक्ष मे तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

(2) तनकी सं. 2:– इस तनकी को सिद्ध करने का भारवादिया पर है जिसमे उसे यह साबित करना है कि वादिया प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी है। तनकी सं.1 के पूर्व विवेचन से साबित है कि वादिया वादग्रस्त आराजी के 1/5 हिस्से की खातेदार काश्तकार उद्घोषित होने की अधिकारिणी है। इससे वादिया का खातेदार काश्तकार होना तो प्रमाणित है लेकिन प्रतिवादीगण भी सह खातेदार है। वादग्रस्त आराजी का बंटवारा नही हुआ है तथा आराजी संयुक्त खातेदारी मे है। संयुक्त खातेदारी मे हर खातेदार का हर इंच पर कब्जा माना जाता है। इसलिए वादिया केवल अपने हक हिस्से की सुरक्षा की हद तक दखलंदाजी नही करने के लिए प्रतिवादीगण को पाबंद करवाने की अधिकारिणी है।

(3) तनकी सं. 3:– इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी सं. 11 ता 14 पर है जिसमे उन्हे यह साबित करना है कि वादिया का वाद मियाद बाहर होने व वादकारण हासिल नही होने से वाद खारिज योग्य है। इस संबध मे प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किये गये है। वादिया को अपने हक अधिकारों की मांग हेतु दावा पेश करने का विधिक अधिकार उपलब्ध है। इसलिए केवल जवाबदावा मे ऐतराज उठाने मात्र से वादिया का वाद मियाद बाहर होना अथवा वाद कारण हासिल नही होना नही माना जा सकता। लिहाजा यह तनकी सं.3 प्रतिवादी सं. 11 ता 14 के विरूद्ध तय की जाती है।

(4) दादरसी– तनकी सं.1 वादिया के पक्ष मे, तनकी सं.2 आंशिक रूप से वादिया के पक्ष मे तय हुई है तथा तनकी सं.3 प्रति.सं. 11 ता 14 के विरूद्ध तय हुई है अतः वादिया का वाद डिक्री योग्य है ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः वादिया का वाद डिक्री किया जाता है आराजी खसरा नं. 12 रकबा 4.49 है. खसरा नं. 36 रकबा 6.40 है. व खसरा नं. 174 रकबा 1.01 है. तन ग्राम मंगलूणा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर मे स्व. जीवण पुत्र बींजा के हक हिस्से मे वादिया को 1/5 हिस्सा की काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है व शेष मे प्रतिवादी सं. 1 को 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 के वारिसान प्रति.सं. 2/1 ता 2/7 को 1/5 हिस्सा, प्रति.सं. 3 ता 10 (प्रति. सं. 3 ता 5, 6 ता 8,9,10) को 1/5 हिस्सा, प्रति.सं. 11 ता 17 को 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है। वर्तमान खाता बनाम प्रति.सं. 1 ता 17 का उक्त से अधिक हिस्से का निरस्त घोषित किया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को लिखा जावे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2018 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
लक्ष्मणगढ (सीकर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ (सीकर)

–पीठासीन अधिकारीअनिल कुमार, आर.ए.एस

सोना देवी बनाम **गोपी आदि**

दावा बाबत उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बरः– 236/2013 **निर्णय दिनांक– 10.01.2018**

वादी व प्रतिवादीगण अभिभाषक की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10.01.2018 को अनिल कुमार, आर.ए.एस., पीठासीन अधिकारी, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), लक्ष्मणगढ़ (सीकर) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

वादिया का वाद डिक्री किया जाता है आराजी खसरा नं. 12 रकबा 4.49 है. खसरा नं. 36 रकबा 6.40 है. व खसरा नं. 174 रकबा 1.01 है. तन ग्राम मंगलूणा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर मे स्व. जीवण पुत्र बींजा के हक हिस्से मे वादिया को 1/5 हिस्सा की काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है व शेष मे प्रतिवादी सं. 1 को 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 के वारिसान प्रति.सं. 2/1 ता 2/7 को 1/5 हिस्सा, प्रति.सं. 3 ता 10 (प्रति. सं. 3 ता 5, 6 ता 8,9,10) को 1/5 हिस्सा, प्रति.सं. 11 ता 17 को 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है। वर्तमान खाता बनाम प्रति.सं. 1 ता 17 का उक्त से अधिक हिस्से का निरस्त घोषित किया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किया जावें। रहन यथावत रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को लिखा जावे।

यह आज तारीख 10.01.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

मुहर

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ..... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)